



बिहार राज्य

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1927 (श०)

(सं० पटना 614)

पटना, शुक्रवार 18 नवम्बर 2005

(सं० वि० (२७) पे० को०-५३१०४-२४६९)
वित्त विभाग

संकल्प

16 नवम्बर, 2005

विषय—दिनांक 1 सितम्बर, 2005 या उसके बाद नियुक्त रज्यकर्मियों पर प्रशासनी ऐंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त, 2005 द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिये “बिहार सरकारी कर्मचारी ऐंशदावी ऐंशन योजना 2005” लागू की गयी है। इसके संकल्प की कठिका में यह उल्लेख किया गया है कि इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अलग से विस्तृत आदेश निर्दित किया जायगा। उक्त क्रम में इस योजना को लागू करने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित हो जाती है—

1. दिनांक 1 सितम्बर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिये इस योजना में शामिल होना प्रविधायी है। इन कर्मियों के मात्रिक बेतन से मूल बेतन तथा अनुभाव जीवन यापन भत्ता के योग की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कटौती की जाएगी। राज्य सरकार इतनी ही राशि अंशदान के रूप में उपलब्ध करायेगी।

2. यह अंशदान बैर याहूरण ऐंशन निषि में जमा होगा।

3. सरकारी सेवक के 60 वर्ष की वार्षिक सेवानिवृत्ति के समय सेवाकाल में संचित निषि से 40 प्रतिशत राशि प्राप्ति ३० ढी० आर० ४० नियंत्रित जीवन बीमा कम्पनी से वार्षिकी (Annuity) बरीक्ने के लिये कटौती कर दी जायगी। जिससे सरकारी कर्मचारी तथा उन पर आन्वित उनके माता-पिता तथा पति-पत्नी के जीवन काल हेतु ऐंशन अवस्था की जायगी तथा ऐंश 60 प्रतिशत राशि एकमुळत सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक को भुगताव कर दी जायगी।

4. यो सरकारी सेवक वार्षिक सेवानिवृत्ति के पूर्व किसी कारण सरकारी सेवा से अलग हो जाते हैं या जिनकी भूमू हो जाती है, उन्हें संचित निषि की पूरी राशि बापत कर दी जायगी तथा ऐसे कर्मियों को पैशः शावि की सुविधा देय वहीं होगी।

5. इस निषि के रख-रखाव हेतु एक कन्त्रीयकृत रख-रखाव तथा लेखाकरण (सी०आर०ए०) आधार दोनों तथा ऐंशन निषि प्रबंधक हेतु जो स्त्रीम की तीन श्रेणियों यथा-(क) (ब) (ग) को पेश करें। विकल्प ‘क’ के अन्तर्गत निवेश मुद्दतः नियत व्याज वाले इन्स्ट्रुमेंट (Instruments) तथा कुछ निवेश हिस्सा पूँजी में होगा। विकल्प ‘ब’ में निवेश मुद्दतः हिस्सा पूँजी में होगा, तथा विकल्प ‘ग’ में हिस्सा पूँजी तथा नियत व्याज वाले इन्स्ट्रुमेंट (Instruments) में लगभग बराबर-बराबर निवेश होगा। प्रत्येक कर्मचारी इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपना सकेगा।

6. भागीदार कर्मियों (पी० एफ० एम०) तथा सी० आर० ४० उपर्युक्त तीनों विकल्पों के संबंध में आसानी से समझ में आने वाली जानकारियां देंगी ताकि कोई भी कर्मी समृच्छित विकल्प का प्रयोग करते हुए यह नियंत्रित कर सके कि उसे कोन-सी स्त्रीम का चयन करना है।

7. जबतक इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत रख-रखाव तथा लेखाकरण (सी0आर0ए0) तथा पेशन निधि प्रबन्धक (पी0एफ0एम0) की नियमित व्यवस्था नहीं हो जाती है तबतक संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन इस योजना से संबंधित सभी अभिलेखों तथा लेखा का संधारण करेगी।

8. सरकारी सेवक के प्रभार ग्रहण करने के तत्काल बाद सरकारी सेवक को उनका नाम, पदनाम, वेतनमान, जन्म-तिथि नामित व्यक्ति का नाम तथा उससे सम्बन्ध आदि के बारे में सूचना परिशिष्ट- 1 में तीन प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में देनी होंगी। इस योजना से आच्छादित होनेवाले सभी सरकारी सेवकों से इन सूचनाओं को प्राप्त कर इसे सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय / निदेशालय में भेजने की जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रधान की होगी। प्रत्येक माह राज्य सरकार की सेवा में योगदान देनेवाले सभी कर्मियों की समेकित सूचना सम्बन्धित कार्यालय प्रधान द्वारा परिशिष्ट-2 में निर्धारित प्रपत्र में दी जायेगी जिसके साथ परिशिष्ट-1 की मूल प्रति भी संलग्न होगी। परिशिष्ट-1 की मूल प्रति को भविष्य निधि कार्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। यह सूचना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भविष्य निधि निदेशालय/ संबंधित कार्यालय को देनी अनिवार्य होगी।

9. उपर्युक्त परिशिष्ट-2 प्राप्त होने के उपरान्त भविष्य निधि निदेशालय/ कार्यालय सम्बन्धित कर्मी को 12 अंकों की एक स्थायी पेशन लेखा संख्या आवंटित करेगा। 12 अंकों में से प्रथम 4 अंक उस पञ्चांग वर्ष को दर्शायेगी जिसमें सरकारी सेवक के द्वारा योगदान किया गया है। उसके बाद अगला एक अंक सरकारी कर्मियों को इंगित करेगा तथा इस कॉलम में “1” अंक अंकित किया जाएगा। उक्त के बाद का 2 अंक सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय का वह कोड होगा, जिसे संलग्न परिशिष्ट-3 में अंकित किया गया है और अन्तिम 5 अंक सम्बन्धित पञ्चांग वर्ष में नियुक्त सरकारी कर्मियों की क्रमिक संख्या होगी जिसे भविष्य निधि कार्यालय द्वारा आवंटित किया जाएगा।

10. स्थायी पेशन लेखा संख्या का प्रारूप निम्न प्रकार होगा :-

पञ्चांग वर्ष	असैनिक	भविष्य निधि कार्यालय का कोड	कर्मियों की क्रमिक संख्या

स्थायी पेशन लेखा संख्या आवंटित करने के संबंध में परिशिष्ट-4 में उदाहरण दिया गया है जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जायेगी :

11. नव नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन विपत्र से मूल वेतन एवं अनुमान्य जीवनयापन भत्ता के योग के 10 प्रतिशत राशि की कटौती होगी। कटौती उसी प्रकार जी जाएगी जिस प्रकार वर्तमान में भविष्य निधि के लिये की जाती है। इसके लिए वेतन विपत्र के साथ अनुसूची दो प्रतियों में संलग्न करनी होगी जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र भुगतान के उपरान्त सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय को भेजा जाएगा।

12. राज्य सरकार अपने अंशदान के रूप में वेतन एवं जीवन यापन भत्ता के योग पर ही 10 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायेगी। यह राशि मुख्य शीर्ष 2071- पेशन तथा अन्य सेवा निवृत्त हित लाभ, उप मुख्य शीर्ष 01-सिविल, लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय उप शीर्ष - 0001- अंशायी पेशन योजना के तहत राख्य का अंशदान से भुगतेय होगी।

13. इस योजना से आच्छादित होने वाले कर्मियों के लिये दो मासिक वेतन विपत्र साथ-साथ प्रस्तुत किये जायेंगे जिसमें एक विपत्र वर्तमान के मासिक वेतन विपत्र के अनुरूप होगा तथा इसमें उस शीर्ष का उल्लेख होगा जिससे सरकारी सेवक का वेतन निकलता है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत आवंटन उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा। दूसरा मासिक वेतन राज्य सरकार द्वारा दिये जानेवाले अंशदान का होगा जिसकी निकासी उपर्युक्त कंडिका-12 में उत्तराधित शीर्ष से होगी तथा इसके लिये आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी।

14. मासिक वेतन विपत्र तथा अंशदायी योगदान के लिए दोनों विपत्रों के साथ दो-दो प्रतियों में सम्बन्धित अनुसूची संलग्न की जायेगी। यहौं उसी प्रकार संलग्न की जायेगी जिस प्रकार भविष्य निधि के लिए अनुसूचियां संलग्न की जाती हैं। इसमें नियमित मासिक वेतन विपत्र के साथ जो अनुसूची संलग्न होंगी उसका प्रारूप परिशिष्ट-5(क) पर तथा राज्य सरकार द्वारा दिये जानेवाले अंशदान से सम्बन्धित अनुसूची विपत्र के साथ परिशिष्ट-5“ख” पर देखी जा सकती है।

15. दोनों मासिक वेतन विपत्रों को कोषागार द्वारा एक साथ पारित किया जाएगा तथा विपत्र की निकासी/समायोजन के उपरान्त उसके साथ संलग्न अनुसूचियों को भविष्य निधि निदेशालय/संबंधित भविष्य निधि कार्यालय को ठीक उसी प्रकार भेजा जाएगा जिस प्रकार वर्तमान में भविष्य निधि से कटौती से संबंधित अनुसूचियां भेजी जाती हैं।

16. भविष्य निधि कार्यालय का यह उत्तराधित होगा कि वे सम्बन्धित कर्मियों का लेखा संधारण करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उनके वेतन तथा अनुमान्य महंगाई भत्ता के योग के 10 प्रतिशत से अधिक या कम राशि की कटौती नहीं की गयी हो तथा राज्य सरकार का अंशदान भी इसी के अनुरूप हो। यदि किसी मामले में इससे भिन्न तथ्य प्रकाश में आता है तो उसे तुरंत सम्बन्धित कोषागार के ध्यान में लाया जाएगा जो इस संबंध में सुषारात्मक कर्तवाई करेगी।

17. बकाया वेतन एवं जीवनयापन भत्ता की निकासी में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी अर्थात् इसमें भी 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी तथा उतनी ही राशि राज्य सरकार के अंशदान के रूप में दी जाएगी।

18. यदि 10 प्रतिशत की राशि की गणना करने पर उक्त राशि 50 पैसे या उससे अधिक हो तो उसे अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा और यदि वह 50 पैसे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

19. उपर्युक्त कंडिका-7 में वर्णित नियमित व्यवस्था जबतक नहीं हो जाती है तब तक इस मद में जमा राशि पर भी उक्त अवधि में भविष्य निधि में जमा राशि पर देय ब्याज दर देय होगा।

20. भविष्य निधि निदेशालय/सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से कटौती की गयी राशि तथा राज्य सरकार द्वारा अंशदान की गयी राशि का लेखा प्रत्येक वर्ष के अन्त में सम्बन्धित कार्यालय प्रधान को उपलब्ध कराया जाएगा जो अपने अभिलेखों से भी इसका मिलान कर लेगी तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मी को उपलब्ध करा देगी। यदि भविष्य निधि कार्यालय तथा कार्यालय प्रधान के आंकड़ों में किसी प्रकार का अन्तर हो तो इसका मिलान तुरंत किया जाएगा।

21. नवनियुक्त स्वयं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को भी दो अलग-अलग वेतन विपत्र इस संकल्प के प्रावधानों के प्रावधान के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

22. राज्य कर्मियों के अंशदान की कटौती को “मुख्य शीर्ष 8011- बीमा तथा पेंशन निधि, लघु शीर्ष 106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधियां, उपशीर्ष -0002- बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना -2005 में राज्य कर्मियों का अंशदान” में जमा किया जाएगा एवं राज्य सरकार के अंशदान को “मुख्य शीर्ष 8011- बीमा तथा पेंशन निधि, लघु शीर्ष 106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधि, उपशीर्ष -0002- बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना -2005 में राज्य सरकार के अंशदान” में जमा किया जाएगा।

23. इस योजनान्तर्गत आच्छादित कर्मियों के लिए भविष्य निधि की योजना लागू नहीं होगी अर्थात् उनके वेतन से सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।

24. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय आदि जहाँ राज्य सरकार के कर्मियों की भांति पेंशन की सुविधा उपलब्ध है, में इस नई अंशदायी पेंशन योजना को लागू करने के लिए निदेशित किया गया है। इनके सम्बन्ध में इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बारे में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

पी० एन० नारायणन
वित्त आयुक्त।

मिहार नक्षट (प्रसारण) 10 नवम्बर 2005

परिक्षण-1

(सरकारी कर्मी द्वारा भरा जाएगा)

1. सरकारी सेवक का नाम-
2. पिता/पति का नाम-
3. पदनाम-
4. विभाग/कार्यालय का नाम-
5. जन्म तिथि-
6. सरकारी सेवा में नियुक्ति का तिथि-
7. वैतरणीयान-
8. मूल वेतन-
9. पेशन निधि के अन्तर्गत संकेतन-

क्रम संख्या	मनोनीत स्वत्रित का नाम	उम्र	भुगतान के प्रतिशल का अंश	सरकारी सेवक के साथ हमेशा

दिनांक

हस्ताक्षर के दो गवाह

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

1.

2.

दिनांक-

संग्रह-

प्रतिहस्ताक्षरित

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

Page-2

कार्यालय का नाम एवं पता :-

५८

कार्यालय प्रथमन का हरताक्षर एवं महर

परिशिष्ट - 3

राज्य बीमा एवं भविष्य निधि के इकाई कार्यालय/जिला कार्यालय की सूचि
भविष्य निधि कार्यालय का स्थान

क्रमांक	भविष्य निधि कार्यालय का स्थान	कोड नं०
1.	भविष्य निधि निदेशालय, पटना	01
2.	पटना	02
3.	भोजपुर, आरा	03
4.	बक्सर	04
5.	रोहतास (सासाराम)	05
6.	कैमूर (भभुआ)	06
7.	बिहार-शरीफ	07
8.	गया	08
9.	औरंगाबाद	09
10.	नवादा	10
11.	जहानाबाद	11
12.	अरवल	12
13.	मुगेर	13
14.	लखीसराय	14
15.	शेखपुरा	15
16.	जमुई	16
17.	खगड़िया	17
18.	बेगुसराय	18
19.	जमालपुर	19
20.	बौका	20
21.	सारण (छपरा)	21
22.	सिलाव	22
23.	गोपालगंज	23
24.	मुजफ्फरपुर	24

राज्य बीमा एवं भविष्य निधि के इकाई कार्यालय/जिला कार्यालय की सूची :-

क्रम संख्या	भविष्य निधि कार्यालय का स्थान	कोड नं०
25	सीतामढी	25
26	शिवहर	26
27	वैशाली (हाजीपुर)	27
28	पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	28
29	पं० चम्पारण (बितिया)	29
30	मधुबनी	30
31	दरभंगा	31
32	समस्तीपुर	32
33	सहरसा	33
34	सुपील	34
35	मधेपुरा	35
36	पूर्णिया	36
37	अररिया	37
38	किशनगंज	38
39	कटिहार	39

परिशिष्ट - 4

स्थायी पेंशन लेखा संख्या आवंटित करने हेतु उदाहरण -1

1. राज्य स्तरीय सेवा में माह सितम्बर 2005 में नियुक्त कर्मी का स्थायी पेंशन लेखा संख्या जो भविष्य निधि निदेशालय द्वारा निम्न प्रकार आवंटित किया जाएगा :-

पंचांग वर्ष				असैनिक	भविष्य निधि कार्यालय का कोड		कर्मियों की क्रमिक संख्या					
2	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	1

उदाहरण - 2

क्षेत्रीय कार्यालय यथा कटिहार ज़िला के अन्तर्गत कोई पंचायत सेवक या राजस्व कर्मचारी के पद पर माह सितम्बर 2005 में योगदान करता है तो उसका स्थायी पेंशन लेखा सं0 कटिहार ज़िला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार आवंटित किया जाएगा :-

पंचांग वर्ष				असैनिक	भविष्य निधि कार्यालय का कोड		कर्मियों की क्रमिक संख्या					
2	0	0	5	1	3	9	0	0	0	0	0	1

नोट- अंतिम 5 अंक उस वर्ष में नियुक्त कर्मियों की संख्या है। भविष्य निधि कार्यालयों को जैसे -जैसे आवेदन प्राप्त होंगे, उनके द्वारा वैसे -वैसे इहें भरा जायेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कटिहार ज़िले में विभिन्न कार्यालयों में 100 कर्मियों की नियुक्ति वर्ष 2005 में होती है तो सभी के लिये प्रथम 7 अंक समान रहेंगे तथा अंतिम 5 अंक 00001 से 00100 तक अंकित किये जायेंगे।

परिशिष्ट- 5 (क)

नई अंशदान पेंशन योजना 2005 के तहत राज्यकर्मियों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की अनुसंधी :-

मुख्य शीर्ष-

उपमाल्य शीर्ष-

उपशीर्ष-

कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्यवन पदाधिकारी का हस्ताक्षर, एवं मठर

परिशिष्ट: -5 . (ख)

नई अंशदान पेंशन योजना 2005 के तहत राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की अनुसूची :-

मुख्य शीर्ष-

उपरच्छ्वा शीर्ष-

उपशीर्ष-